



राजस्थान-सरकार

न्यायालय उप जिला कलक्टर सैपऊ, जिला धौलपुर

पीठासीन अधिकारी:-ललित मीना (आर0 ए0 एस0)
प्रकरण संख्या-122/2020

1-कैलाशी पुत्र बोवदिया जाति जाटव निवासी ग्राम पिपरौआ तहसील सैपऊ जिला धौलपुर
(राज0)वादी

बनाम

1-सन्तोषी पुत्र बोवदिया जाति जाटव 2-मीरा पत्नी राकेश जाति धोबी 3-त्रिवेनी पत्नी
सुल्तानसिंह जाति कोली निवासीगण पिपरौआ तहसील सैपऊ जिला धौलपुर.....प्रतिवादीगण
4-पी0एन0बी0 बैंक शाखा बसई नबाब जरिये प्रबन्धक
24-राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सैपऊतरतीवी प्रतिवादीगण

वाद वास्ते बटवारा काश्त
आधीन धारा 53 आर.टी.एक्ट


उपस्थिति - 1-श्री शेषकुमार शर्मा एडवोकेट(वादी)

निर्णय

दिनांक 12.10.2022

संक्षिप्त में उक्त उनवानी प्रकरण न्यायालय में वास्ते विवादित आराजी खाता संख्या 411 के खसरा नम्बर 103, 144, 146, 205, 307 कुल किता 5 कुल रकवा 1. 8715 हैक्टेयर वाकेग्राम पिपरौआ पटवार हल्का पिपरौआ, खाता संख्या 116 के खसरा नम्बर 129, 130 किता 2 कुल रकवा 0.9990 हैक्टेयर वाकेग्राम पिपरौआ पटवार हल्का पिपरौआ, खाता संख्या 50 के खसरा नम्बर 244 रकवा 0.4046 हैक्टेयर वाकेग्राम पिपरौआ पटवार हल्का पिपरौआ तहसील सैपऊ जिला धौलपुर का पेश किया। दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किये गये। प्रतिवादीगण स्वयं प्रशासन गांव के संग अभियान-2021 केम्प कोर्ट स्थल पिपरौआ पर उपस्थित हुये एवं गुणावगुण के आधार पर दावा दिनांक 08.12.2022 को दावा वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण प्रारम्भिक रूप से डिक्री किया जाकर विवादित आराजीयात का वादी एवं प्रतिवादी के मध्य बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन कर तहसीलदार सैपऊ को आदेश दिये गये कि वह अच्छी में से अच्छी तथा बुरी में से बुरी आराजी के पक्षकारो के रिकॉर्ड में दर्ज हिस्सो के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवायें।

तहसीलदार सैपऊ द्वारा अपने पत्रांक:राजस्व/2022/380 दिनांक 20.06.2022 द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवायें। प्रतिवादीगण अनुपस्थित होने के कारण विभाजन प्रस्ताव पर विद्वान वादी अभिभाषक को सुना गया तथा विद्वान वादी अभिभाषक द्वारा मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दावा अन्तिम डिक्री करने का निवेदन किया। तहसीलदार सैपऊ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। तहसीलदार सैपऊ द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव पक्षकारों के दर्ज हिस्से अनुसार ही हैं। तहसीलदार द्वारा विभाजित खसरा नम्बरों के बावत् प्रस्तावित


उपखण्ड अधिकारी
सैपऊ

रमीम नवशा भी प्रेषित किया है। ऐसी स्थिति में दावा मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिक्री करना उचित समझते हैं।

अतः आदेश है कि दावा मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है तथा आराजी वादग्रस्त स्थित ग्राम पिपरौआ पटवार हल्का पिपरौआ तहसील सैपरु के बावत् पक्षकारान् के मध्य निम्नानुसार बटवारा किया जाता है :-

क्र०सं०	ख०नं०	रकवा
1-		
2-	130	0.4932
3-	144 / 2	0.2872
4-	146 / 1	0.2213
5-	205 / 1	0.2149
6-	244 / 1	0.2023
	307 / 1	0.1897

योग किता-6 रकवा- 1.6086 हैक्टेयर

2-संतोषी पुत्र वोवदिया जाति जाटव सा० पिपरौआ।

क्र०सं०	ख०नं०	रकवा
1-		
2-	144 / 1	0.3071
3-	146 / 2	0.2213
4-	205 / 2	0.2150
	307 / 2	0.1897

योग किता-4 रकवा- 0.9331 हैक्टेयर

3-मीरा पत्नी राकेश जाति धोबी सा० पिपरौआ।

क्र०सं०	ख०नं०	रकवा
1-	244 / 2	0.2023

योग किता-1 रकवा- 0.2023 हैक्टेयर

4-त्रिवेनी पत्नी सुल्तानसिंह जाति कोली सा० पिपरौआ।

क्र०सं०	ख०नं०	रकवा
1-	129	0.5058

योग किता-1 रकवा-0.5058 हैक्टेयर

5-कैलाशी, संतोषी पुत्रान् वोवदिया जाति जाटव सा० देह पिपरौआ।

क्र०सं०	ख०नं०	रकवा
---------	-------	------


उपखण्ड अधिकारी

योग

किता-1

रकवा-0.0253 हैक्टेयर

उपरोक्तानुसार ही राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज कर पक्षकारों के पृथक-पृथक खाता कायम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। साथ ही यह आदेश दिया जाता है कि विभाजित खसरा नम्बरान की आदेशानुसार राजस्व नक्शा में तरमीम की जावे। एवं उभयपक्षकारान् को पाबन्द किया जाता है कि वह एक-दूसरे के हिस्से में आयी आराजी में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करें। पर्चा डिक्री जारी किया जावे। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम किया जाकर हस्व दफा दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 12.10.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।



उप जिला कलक्टर
सैपरु



राजस्थान सरकार

डिगरी व मुकदमे ईक्वादाई

अज अदालत - उप जिला कलक्टर सैपऊ
व इजलास - ललित मीना (आर० ए० एस०)
प्रकरण संख्या-122 / 2020

- 1-कैलाशी पुत्र वोवदिया जाति जाटव निवासी ग्राम पिपरौआ तहसील सैपऊ जिला धौलपुर (राज०) वादी
- बनाम
- 1-सन्तोषी पुत्र वोवदिया जाति जाटव 2-मीरा पत्नी राकेश जाति धोबी 3-त्रिवेनी पत्नी मुल्तानसिंह जाति कोली निवासीगण पिपरौआ तहसील सैपऊ जिला धौलपुर प्रतिवादीगण
- 4-पी०एन०बी० बैंक शाखा बसई नबाब जरिये प्रबन्धक
- 24-राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सैपऊ तरतीवी प्रतिवादीगण

वाद वास्ते बटवारा कास्त
आधीन घारा 53 आर.टी.एक्ट

आज यह मुकदमा इनफिसाल कतई रुबरू मुझ ललित मीना (आर.ए.एस.) व हाजरी मिनजानिव मुददई श्री शेषकुमार शर्मा एडवोकेट एवं मिनजानिव मुददायलह श्री..... को पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है। कि दावा मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है तथा आराजी वादग्रस्त स्थित ग्राम पिपरौआ पटवार हल्का पिपरौआ तहसील सैपऊ के बावत् पक्षकारान् के मध्य निम्नानुसार बटवारा किया जाता है :-

1-कैलाशी पुत्र वोवदिया जाति जाटव सा० पिपरौआ।

क्र०सं०	ख०नं०	रकवा
1-	130	0.4932
2-	144 / 2	0.2872
3-	146 / 1	0.2213
4-	205 / 1	0.2149
5-	244 / 1	0.2023
6-	307 / 1	0.1897

योग किता-6 रकवा- 1.6086 हैक्टेयर

2-संतोषी पुत्र वोवदिया जाति जाटव सा० पिपरौआ।

क्र०सं०	ख०नं०	रकवा
1-	144 / 1	0.3071
2-	146 / 2	0.2213
3-	205 / 2	0.2150
4-	307 / 2	0.1897

योग किता-4 रकवा- 0.9331 हैक्टेयर



(Signature)
उपसचिव अधिकारी
सैपऊ

पत्नी राकेश जाति धोबी सा० पिपरौआ।

ख०नं०	रकवा
244 / 2	0.2023

योग किता-1 रकवा- 0.2023 हैक्टेयर

4-त्रिवेनी पत्नी सुल्तानसिंह जाति कोली सा० पिपरौआ।

क्र०सं०	ख०नं०	रकवा
1-	129	0.5058

योग किता-1 रकवा-0.5058 हैक्टेयर

5-कैलाशी, संतोषी पुत्रान् वोवदिया जाति जाटव सा० देह पिपरौआ।

क्र०सं०	ख०नं०	रकवा
1-	103	0.0253

योग किता-1 रकवा-0.0253 हैक्टेयर

उपरोक्तानुसार ही राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज कर पक्षकारों के पृथक-पृथक खाता कायम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। साथ ही यह आदेश दिया जाता है कि विभाजित खसरा नम्बरान की आदेशानुसार राजस्व नक्शा में तरमीम की जावे। एवं उभयपक्षकारान् को पाबन्द किया जाता है कि वह एक-दूसरे के हिस्से में आयी आराजी में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करें। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम किया जाकर हस्व दफा दाखिल दफ्तर हो।

वशव्द मेरे एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 12.10.2022 को जारी की गई।



(ललित मीना)
उप जिला कलक्टर
सैपऊ